उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग की तहसील रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ, एवं बसुकेदार स्थित भू–सम्पत्तियों की शासनादेश संख्या 161/2016/**xxvii**(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 10 जून 2016 के द्वारा संशोधित मूल्यांकन सूची वर्ष 2015–16 दिनांक 16.6.2016 से प्रख्यापित/नियत ।

- आदेश -

शासनादेश संख्या –99/नि0स0–अ0सा0वि0/बैठक/2015 दिनांक 02 नवम्बर, 2015 के क्रम में एवं उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग में वर्ष 2015–16 हेतु सम्पत्तियों का मूल्यांकन दरें (सर्किल रेट) पर राज्य स्तर पर गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत जनपद रूद्रप्रयाग हेतु नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) शासनादेश संख्या 01/2016/xxvii(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 02 जनवरी 2016 एवं शासनादेश संख्या 161/2016/xxvii(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 10 जून 2016 के द्वारा संशोधित सर्किल दरें निम्नलिखित प्रकार से दिनांक 16–06–2016 से प्रख्यापि/नियत की जाती है ।

तहसील रूद्रप्रयाग :– नगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग/मोहल्ले/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टे0 लाख रू0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	अधिसूचित नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्राम पुनाड, रैतोली, तिलणी, सुमेरपुर।	95.15	90.80	86.50	1072.50	1024.00	975.00	22210.00	29160.00	27470.00	13555.00	11865.00
2	ख	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत आने वाले ग्राम नाकोट (अगस्त्यमुनि) विजयनगर बनियाड़ी।	95.15	90.80	86.50	1045.00	998.00	950.00	22185.00	29105.00	25430.00	13555.00	11865.00
3	ग	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग के अन्य राजस्व ग्राम बेला सान्दर उमरोला सौड खुरड।	94.00	89.75	85.50	1018.00	971.00	925.00	22155.00	29055.00	25440.00	13555.00	11865.00
4	घ	ग्राम भाईमण्डी अधिसूचित नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले की मही तोक के लिये ।	79.20	75.60	72.00	880.00	840.00	800.00	22020.00	28790.00	27110.00	13565.00	11865.00

5	ड	रौंठी अगोडा (देवूबगड) सिल्ली।	68.20	65.10	62.00	770.00	735.00	700.00	21915.00	28580.00	26890.00	13555.00	11865.00

तहसील रूद्रप्रयाग :– अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्ला/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मौहल्लो/ राजस्व ग्रामो की	सामान्य दर........(BASE RATE) प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टेयर लाख रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
	क	राजस्व ग्राम डिरमोली, नगरासू (धोलतीर), भैडगांव (नगरासू)।	75.35	71.92	68.50	880.00	840.00	800.00	20130.00	25400.00	23710.00	13050.00	11015.00
	ख	राजस्व ग्राम, रतूडा, तिलावाडा गीड़ भूतेर मैठाणा रामपुर	67.10	64.05	61.00	715.00	682.50	650.00	18480.00	25095.00	23415.00	13050.00	11015.00
	ग	स्यूपुरी, सतेराखाल, बोरा (दुर्गाधार) जाखणी (गोपता)।	23.65	22.57	21.50	275.00	262.50	250.00	18060.00	24255.00	22555.00	13050.00	11015.00

(signature)

तहसील रूद्रप्रयाग :— ग्रामीण क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे० लाख रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	क	मठाणा, मरोडा, जवाडी।	75.35	71.92	68.50	798.00	761.00	725.00	15170.00	20160.00	18470.00	11530.00	9830.00
	ख	नरकोटा, नौगांव लगा बीजाणी ,खांकरा दैजीमाण्डा , सिरोबगड, शैवानन्दी चिनांई लगेरी सौडलग्गाकलना, [illegible], गगतल, भैसगांव।	62.70	59.85	57.00	715.00	683.00	650.00	15000.00	20000.00	18310.00	11530.00	9830.00
	ग	मिनतोली, क्यूडी, कुण्डादानकोट, चौपडा, भैरारी, देवलख, पालीजैखण्डा, टेमना, रामणु, पालीतल्ली , गवारी, जौन्दला, अखौली, कुरझण, लदोली, धिरोली, दिउजी, जरोली, बीना, थलासू, घुयेली।	23.65	22.57	21.50	275.00	263.00	250.00	14470.00	19160.00	17470.00	11530.00	9830.00
	घ	काण्डा , बावई , मयकोटी, रान, नवासू, फतेहपुर, मोल्ठा, सिन्दवालगांव नौगांवलगासिन्दवालगांव, काण्डई, भतीडा बालोली, बामसू, बाडा, डुग्रा सिरकोटलगाडुग्रा, चौथला, शिवपुरी, मोलछडा, स्यूणी, भणेटालगास्यूणी , गहड, दानकोट, नौखू, बडकोट, गुसयागांव, झुण्डोली, बणसी, धारकोट, बरसूडी, पिपली, स्यारी, भ्यूंता, धौण्डासिरांई, ढौण्डा, सौन्दा, दरमोला , कमेडा, बर्सांकनान्दला ।	17.05	16.27	15.50	198.00	189.00	180.00	14585.00	19015.00	17325.00	11530.00	9830.00
	ङ	स्वारीग्वांस, कोलूखन्नू, वैजीकाण्डई, आगरजवाडी, कोखण्डी, जग्गीकाण्डई, बनथापला, गोरणा, कुमौलीमालकोटी, कर्णधार,सौडभटगांव, कादौलग्गागादरवाडी, खत्याणा, तोलब, दरम्वाडी, नारी, चमेली, रूमसी, मणगू, मालखी, बरेथ, मौसाल, स्यालडौंगा, भटवाडी (अगस्त्यमुनि), सिलकोट, कोटीबडकोटी, मदौला, कोठगी,	16.22	15.46	14.75	182.00	173.00	165.00	14575.00	18983.00	17295.00	11530.00	9830.00

		छिनका, सिन्दवाणीतल्ली, सिन्दवाणीमल्ली, नागलग्गासारी, नरसूलग्गासारी, नागढाडा सारी, ग्रालीमठ, बगसील, धारकोट (चोपड़ा) बजूण, कोदिमा, कोटमल्ला, कोटतल्ला, गढौरा, तूना, ग्वाडलग्गापुनाड, बरसू, तोली, वीरों, चौथ, ग्वाड़थापली, पीड़ा, निषणी, बगोलीतैली, बगोलीवल्ली, सुनाऊ, जैटा, कठैतगाव, वैरागना, कुलातोली, आंकसेरा, कोल्ली, गदयूनलग्गाटैठी, ऊफराईखेत, मरगांव(मरगाव), टैठी, जुन्टई,सुराडी, पाटा, सेरा, खरगढ, वांसी, गवाणा, सीराखाल, तिमली, सेमल्या, माथगाव, महरगांव, मोराढ़ी, रौतिया, बंजी, डांगी, गुनाऊ।											
	घ	उखोली, वछनी, तडाग, भटवाडी (पिमतोली), ग्यूड़ीमलारा, बीरामल्ला, बीरातल्ला, इशाला, महडतल्ला, महडमल्ला, जरम्वाड, ढुंग, तलगढ, थपलगाव, मलनाऊ, फलासी, गढ़ील, चामक, पारीडांग, जोदला, गडसारी, बगरवाडा, चोपड़ा(मराकोटी), वण्ड्रीकोट, बर्सिलपदेक, बगोली, वांकीबर्सिल, तमिढ, धौलसारी, पोला, बीठालग्गाश्वत्थाणा, स्यूण्डढामक, टोभा, खाल्यू, चौण्ड, भटवाडी (सारी), बिजराकोट, गैरलग्गाबिजराकोट, ग्वाडलग्गाबिजराकोट, निर्वाली, गढमिल, पालीमल्ली, दुग्री (चोपड़ा), उतसू, सेमलसारी, पाटीलग्गाकोठगी, भैडगांव(चोपडा), चापड, तोलगांव, मोला, लंगालग्गालदोली, ढोब, घुड़साल, सीताकोटी, चौरीलग्गापुडसाल, क्वाली, तोरियाल, गडबू, खरकोटा, सिमतोली,वणखील,भुनकादल्ला, भुनकापल्ला, काण्डा, पोखरी, धाधड, धारतोली, दुग्रौ(रतुडा), लुगई, खैठी, क्वार्की, धण्डियालका, गवेफड, पाबौ, चिनग्वाड, स्वीनसेरा, रानीगढ, सैरपाणी, कलेथ, चौम्यूं, छातीखाल, ढामणी, डिगणी, पणधारा,मरगांव(खेडाखाल),रामपुर(खेडाखाल), लौगढ, महडबनेली, खोयरसेरा, काण्डाधार, गांगूलग्गाडुंगा, बादिण्यू, नौना, जूटानवास, नाकर, बणगांवमल्ला, बणगांवतल्ला, संकरोडी, स्यालखेत, डोबलग्गापिपली	9.90	9.45	9.00	121.00	116.00	110.00	14520.00	18870.00	17180.00	11530.00	9830.00

		कमोल्डी, पपडासू, डुंगरा(सौराखाल), कोटली, सतनी, ककना, थापली, सकन्याणा, तरवाडी,स्वीली, सेम, डुंगरी(जवाडी), मल्यासूमल्ला, मल्यासूतल्ला, आमबाला ।											

तहसील जखोली :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे० लाख रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0 -50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0 -50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	सुमाडी ।	67.10	64.09	61.09	74250	708.00	675.00	18500.00	25135.00	23450.00	13050.00	11015.00
2	ख	मयाली	31.00	29.50	28.00	385.00	367.00	350.00	18165.00	24455.00	22765.00	13050.00	11015.00

तहसील जखोली :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE) प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे० लाख रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	जखोली, देवल, लम्बाड़, ललूड़ी, बजीरा, ममणी, उरोली, गार्ती, उछना, कपणियां, बच्छवाड़, सिराई, बरसिर,, कोठियाड़ा, चन्दी, बुढना, खलियाण, तुनेटा, पौठी, चौरा, रांगा, लेखवाड़ी, बैनोली, श्रीकोट, काण्डा, रतनपुर, मेदनपुर, घेंघड़, लौंगा, डोभा, जाखाल, विराणगांव, तड़ियालगांव।	18.50	17.50	16.75	275.00	262.00	250.00	14670.00	19165.00	17470.00	11530.00	9830.00
2	ख	लूखर, लुठियाग, पालाकुराली, जखवाड़ीतल्ली, लिस्वाल्टा, कोट, सन, धारकुड़ी, गैताणा, बांघी, जगतोली, जखवाड़ीमल्ली, पांजणा, धारकोट, नाग, पूर्वियाणा, अटोला, हरियाली, पिनगढी, कण्हाली, मरगांव, जैली, जखनोली, तैला, शिशों, टाट, कुमडी, मुराकूग, जखोली बडमा, थाती बडमा, मुन्नादेवल, सेम, कोटी, डंगवालगांव, घणतगांव, धरियांज,	17.50	16.50	15.75	220.00	210.00	200.00	14615.00	19060.00	17365.00	11530.00	9830.00
3	ग	सकलाना, महरगांव, जाखणी, पौणजूली, कोटी, धान्यों, मुन्याधर, भणगा, खाल, बगजीवाला, नन्दवाणगांव, कुनियाली, कटवाड़ी, जखोली तल्ली, जखोली मल्ली, उदियाणगांव, पलोट, कोट, डागी, नौली, सिलगांव, घरियाणा, थापला, क्वीला, धनकुड़ी, बरसारी, भिमली, मवाणगांव, पाली, थाका, पलाटी।	17.16	16.65	15.75	210.00	199.00	190.00	14605.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00

(1)

4	घ	पूलन, सिरवाडी, पुजारगांव, मक्षेत, परडा स्यालदूरी, चोपड, रहड, उरोला, कुरछोला, धनकुराली, बरसोट, लडियासू।	10.00	09.50	09.00	143.00	136.00	130.00	14540.00	18910.00	17220.00	11530.00	9830.00

तहसील ऊखीमठ :- नगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे० लाख रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	श्री केदारनाथ अधिसूचित क्षेत्र नगर पंचायत	77.88	74.34	70.80	979.00	935.00	890.00	22115.00	30030.00	28340.00	14600.00	12915.00
2	ख	ऊखीमठ नगर पंचायत क्षेत्र डंगवाडी उर्फ ऊखीमठ, 1 गाँधी नगर वार्ड, 2–उदयपुर वार्ड, 3–औंकारेश्वर वार्ड	57.20	54.60	52.00	770.00	735.00	700.00	21915.00	28590.00	26890.00	13555.00	11865.00

3	ग	ऊखीमठ नगर पंचायत क्षेत्र अन्टटेश्वर वार्ड(संसारी)	34.65	33.075	31.50	550.00	525.00	500.00	21705.00	28170.00	26470.00	13555.00	11865.00

तहसील ऊखीमठ :– अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामो की	सामान्य दर.........(BASE RATE) प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे0 लाख रू0 में) 0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में) 0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर) प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	माण्डी उर्फ गुप्तकाशी	84.70	80.85	77.00	10.78.00	1029.00	980.00	18825.0	25780.00	24000.00	13050.00	11015.00
2	ख	नाला, कोणगढ (सीतापुर), फाटा, न्यालसू(रामपुर) गौरीकुण्ड, भटवाड़ीसुनार, सोनप्रयाग बाजार।	56.65	54.75	51.50	770.00	735.00	700.00	18535.00	25200.00	23500.00	13050.00	11015.00
3	ग	भीरी, मनसूना।	44.00	42.00	40.00	605.00	577.50	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00

तहसील ऊखीमठ :— ग्रामीण क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.........(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे0 लाख रू0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	सांकरी, गबनीगांव, बुटोलगांव सेमीतल्ली,	56.65	54.75	51.50	748.00	714.00	680.00	15120.00	20075.00	18375.00	11530.00	9830.00
2	ख	मैखण्डा, भैंसारी, भेतसेम, ब्यूंग, खाट, गिवाला।	45.01	43.05	41.00	660.00	630.00	600.00	15035.00	19800.00	18205.00	11530.00	9830.00
3	ग	देडा, उषाडा, खुमेरा, रविग्राम, शरसी, युन्नी, मंगोली, बड़ासू, निवाडीगांव, त्रियुगीनरायण।	38.50	37.20	35.40	550.00	525.00	500.00	14930.00	19690.00	17995.00	11530.00	9830.00
	घ	अन्दवाडी, जमलोक, नागजगई, सारी, कालीमठ, बनियाकुण्ड, दुगलबिट्टा, मक्कू, किमाणा, पठाली।	16.50	16.20	15.40	297.00	284.00	270.00	14690.00	19215.00	17515.00	11530.00	9830.00
	ङ	जलईसुरसाल, कण्डारा, ढौला, कन्यास, ब्यूंजा, कणसिली, भणज, आसमा, धारसेमी, कोटमा, कविल्डा, जालतल्ला, जालमल्ला, चौमासी, राऊलेक, उनियाणा, रांसी, पाली, फापंज, गैड, परकण्डी, मीगी, दिवलीभणिग्राम।	11.00	10.50	10.00	176.00	168.00	160.00	14575.00	18975.00	17285.00	11530.00	9830.00
	च	जगोठ, कमसाल, कांथा, केदामल्ला, किणजाणी, लमगौण्डी, ल्वारा, देवर, बणसू, देवशाल, धरवालगाँव, ह्यूण, कोखीतल्ली, कोखीमल्ली, तुंगनाथ, पोथीबासा, मुण्डासू, तोन्दला, तौल्यू, धार, गाडी, सेमलडुंगर, ककोला, जंगमी, शेरातोक, पिल्लू, बुरूवा,	08.80	08.40	08.00	154.00	147.00	140.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00

		गिरिया, मटखाणी, कुणजेती, ल्यूडी, रूद्रपुर, तरसाली, गैर, पैज, करोखी, जुगासू।											
	छ	कंडातल्ला, किरमोडिया, देवांगण, सल्या, खेडा, तुंलगा, खाल, फलीफसालत, चौण्डी, सिगोली, नमोली, अकड्यार, त्याणी, सेमकुराला, जामू, तोलछडा, पानी, मुनकटिया, खडिया, गैर, सरनालोसन, गरूडिया, कोटेड़ी, जुरानी, गीला, सिलगोठ, तनकिला, कुण्डलिया, कुहेड, त्यार्क, कण्था, उखिण्ड, माथली, कुंजजपुर, बिरौली, खेतीनान्दला, कालई, अखोडी, मचकण्डी, रौडू, दिलमी, काण्डा, हुडडू, बरगाली, सेमार, कैल, जगपुडा, दुबाडखू, रैगू, जैखण्डा, सेनागढसारी, बलसुण्डी, अजयपुर, कलाकोट, कुणजेठी, गुगली, जयकण्डी, तलसारी, महरगाँव, जीशी, बाडव तल्ला, बाडवमल्ला, बाडवबिचला, डुग्री, कांदी, जाबरी, तेवडीसेम, मोली, गौण्डार चोपता।	07.70	07.35	07.00	137.50	131.00	125.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9830.00
	ज	रैल, तोषी, पिनुरवानी, रामबाडा, थगलासी, ऑरिंग, पैलिंग, गरवाली, बष्टीलगाजग्गीबगवान, सलना, गिलौण्ड, थली, स्यांसू, जग्गीबगवान, बेडूला, पौण्डार, राऊचकचौकी, सैनाचकछडा, मनकुण्ड, पाव, दिलणग्वाड, चिनाग्वाड, लक्ष्मणग्वाड, गुजरग्वाड, गुण्डाग्वाड, कन्यास, आसोडिडिया, बाजगढ़, मढ़गू, औगालग्गाकमसाल, गवनीचकबचबाड, व्यूंखी, चुन्नू।	06.60	06.30	06.00	82.50	78.75	75.00	14490.00	18795.00	17105.00	11530.00	9830.00

lehuj

तहसील बसुकेदार :— अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE) प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे0 लाख रू0 में) 0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में) 0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन मे स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर) प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	डालसिंगी(बसुकेदार), फलई(गंगानगर)	46.00	44.00	42.00	605.00	580.00	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00

तहसील बसुकेदार ग्रामीण

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर........(BASE RATE) प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हैक्टे0 लाख रू0 में) 0–50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी तक	201 मीटर से अधिक	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में) 0–50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन मे स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर) प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	क	उर्त्तसू, मरोड़ा, किरोड़ामल्ला, बरटा, लुखन्दीधार, डोबल्या, जखन्यालगांव, पाटियू, अरखुण्ड, रायडी, दानकोट, किमाणा, कूडीअदूली, स्यूर।	17.52	16.53	15.75	220.00	210.00	200.00	14615.00	19060.00	17355.00	11530.00	9830.00
	ख	किरोड़ातल्ला,कौशलपुर	17.18	16.38	15.60	209.00	199.00	190.00	14605.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00

	ग	उच्छोला, भुनालगांव,बक्सीर, नाथ्यागांव, डांगी, खोह, डोभा गैरसेरा, नागजगई	09.90	09.45	09.00	143.00	136.00	130.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00
	घ	डांगी, महडघट, सिल्लाबामणगाँव, चमराडा, सिनघटा, कोटी, डडोली, बडेथ, बष्टी, गुणाक्यार्क, सोगना, मैणीपौण्डार,	08.80	08.40	08.00	159.00	147.00	140.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9830.00
	ड	चन्दापुरी, [illegible]बरसूडी, तिनसोली, फेगू, तालजामण, ठमार, जौला, डुंगर टाटलग्वाफेगू, टेमरियावल्ला, टेमरियापल्ला, हिन्दौला, पाटिगू, भटवाडी(भीरी), बरम्वाडी, पौलाकुण्डलिया, नैली, कुण्ड, नदनू, हाट, नगरसाल, संगूड, पाली, बीरोदेवल, रयासू,	07.70	07.35	07.00	137.50	131.00	125.00	14490.00	18795.00	17105.00	11530.00	9830.00
	च	बेजूबगड, घटबगड	06.60	06.30	06.00	82.50	78.00	75.00	14904.00	19332.00	17593.00	11530.00	9830.00

रूद्रप्रयाग जनपद में चारों तहसीलों हेतु वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक भवनों की प्रचलित किराया दर –

जनपद में नगरी / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)		गैर वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)	
	दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमीपक्का / कच्चा)
नगरीय	दर– रू0 9.0 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 8.5 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 7.0 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 6.5 प्रतिवर्ग फिट
अर्द्धनगरीय	दर– रू0 8.5 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 8.0 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 6.5 प्रति वर्ग फिट	दर– रू0 6.0 प्रतिवर्ग फिट
ग्रामीण	दर– रू0 7.0 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 6.5 प्रति वर्ग फिट	दर– रू0 6.0 प्रतिवर्ग फिट	दर– रू0 5.5 प्रतिवर्ग फिट

नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले आवश्यक तथ्यों की मार्गदर्शिका

क्रमांक	टिप्पणी
1.	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2.	विलेख में वर्णित भूमि /सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्ध नगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
3.	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/आनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
4.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौदही में वर्णित सड़क/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
5.	सड़क/मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य अभिलेखीय रूप से अंकित चौड़ाई से है, जिसमें फुटपाथ व नाली भी सम्मिलित है।
6.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यक भवनों का प्रकार 1–दुकान 2–रेस्टोरेंट 3–कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति की चौदही तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
8.	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन)नियमावली 2015 में परिभाषित है।

सामान्य अनुदेशिका

1— यह मूल्यांकन सूची का भाग है।

2— **कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/ दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश : –**

(1) यद्यपि कृषि/अकिृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि –

(क) कृषि/अकिृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(ख) कृषि/अकिृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन मे स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(ग) कृषि/अकिृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(घ) कृषि/अकिृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा ।

(2) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

(3) शॉपिग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढीयों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो को छोड़कर बहुउद्देशीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेण्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐंसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः– 05 प्रतिशत, 10 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एंव उससे ऊपर तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगंणित मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(4) व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने हेतु एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों, जो कि शॉपिंग मॉ/काम्पलेक्स का भाग नहीं है, के विभिन्न तलों के अलग–अलग अन्तरित होने पर प्रथम तल पर 10 प्रतिशत, द्वितीय तल पर 20 प्रतिशत, तथा तृतीय एवं उसके ऊपर के तलों पर स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन मे 30 प्रतिशत की छूट दी जायेंगी।

(5) ऐसी/दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, . मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतू निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

(6) छोटे दुकानदारों के हितार्थ एकल व्यसायिक सम्पत्तियों जो कि शॉपिंग मॉल/काम्पलेक्स का भाग नहीं है में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जायेगा।

(7) प्रदेश के समस्त जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए लघु काश्तकारों के हितार्थ अकृषि भूमि की न्यूनतम सीमा को 500 वर्गमीटर रखा जाय।

(8) उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, आद्योगिक विकास प्राधिकरणों, एव जिला उद्योगकेन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थानों के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानो द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गो पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पतियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गो के दोनो ओर की दूरी का मानक जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(10) कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डो की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की दो गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।

(11) किसी भी प्रकार की भूमि/ आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(12) बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/ बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/ बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौडाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(13) विलेख में वर्णित भूमि /सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक /गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृर्ता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख मे भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल, अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश), द्वितीय श्रेणी (टिनपोश) अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) फ्लैट के निर्मित क्षेत्रफल की निर्माण दर एवं लिन्टरपोश निर्माण की दर के अलग–अलग निर्धारित होने से फ्लैट्स के क्रेताओं को हो रही परेशानी दूर करने के लिये फ्लैट की निर्माण दरों को कम कर लिन्टरपोश निर्माण के समान कर दिया जायेगा।

(15) उद्योगों की स्थापना किये जाने एवं उनमें निर्माण की लागत कम आने के दृष्टिगत औद्योगिक निर्माण की दर टीनपोश निर्माण हेतु निर्धारित दर के समान मानी जायेगी।

(16) फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा ।

(17) भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर की सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तद्नुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि /सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति मे विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/समत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों मे स्थित नही है

(18) वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नही होगा

(19) भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नही होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

(20) बाउण्ड्री वाल के स्थित होने पर रू0 1000/– रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(21) भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलैक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(22) टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षो का देय होगा।

(23) किसी भी आद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवनमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(24) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रीभावी होगी।

(25) मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरे निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(26) मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यो का उल्लेख किया जायेगा:-

(I) किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

(II) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(III) विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(IV) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1- दुकान 2-रेस्टॉरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्यि अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(V) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका का खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहदी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VI) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहदी में वर्णित सडक-सडकों/मार्ग/मार्गो की चौडाई (मीटर मे) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VII)मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियो/प्रतिष्ठानों द्वारा

	किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 मे यथा परिभाषित है। (VIII) पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो विलेख का भाग माना जायेगा।

(राहुल कुमार गोयल)
अपर कलक्टर / अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग ।

(डॉ0 राघव लेंगर)
आई0ए0एस0
कलक्टर / जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग ।

कार्यालय कलक्टर / जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ।

संख्या– 5176 / V – सर्किल रेट(संशोधन) / (2015–2016) दिनांक रूद्रप्रयाग जून 15 , 2016 ।

प्रतिलिपि – निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी,
5– जिला निबन्धक, रूद्रप्रयाग ।
6– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार ।
7– तहसीलदार, रूद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार ।
8– उप निबन्धक, रूद्रप्रयाग / ऊखीमठ ।
9– समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद रूद्रप्रयाग।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग ।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा। (20)

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है–

नोट:– क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है

निर्माण मूल्य से ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र– **D=P(1-RD/100) n RD=** भवन की औसत आयु/100

D= ह्रास मूल्य(Depreciated Value), P= वर्तमान मूल्य, N= कितने वर्ष पुराना(Age of Bulding)

कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण वर्ष गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक
1st Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.229
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0513	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0569	76	0465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।